राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

अजमेर, 01.12.2016

प्रेस नोट

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने सम्पूर्ण आयोग द्वारा लिये गए निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवम्बर, 2016 को दिये गए अन्तरिम निर्णय के निर्देशों के अनुरूप राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2016 का विस्तारित (एक्सटेण्डेड) परिणाम जारी किया जाएगा जिसमें सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स तक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. ललित के. पंवार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा शीघ्र ही यह विस्तारित परिणाम जारी किया जाएगा तथा नवीन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा तैयारी का पर्याप्त समय भी दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आ.ए.एस. मुख्य–2016 परीक्षा जो 26 व 27 दिसम्बर, 2016 को आयोजित होनी थी अब सम्पूर्ण आयोग के निर्णय अनुसार यह परीक्षा 28 व 29, जनवरी,2017 को आयोजित होगी।

डॉ. पंवार ने बताया कि आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा–2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने की प्रक्रिया उपरोक्तानुसार ही की गई तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स तक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के 507 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम निर्णय के निर्देशों के अनुरूप ही सम्पूर्ण आयोग ने कॉलेज व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा–2014 के शेष विषयों के परिणाम जारी किये जाएंगे तथा जारी किये गए विषयों के परीक्षा परिणाम भी संशोधित/विस्तारित परिणाम के रूप में निकाले जाएंगे।

उप निरीक्षक–पुलिस प्रतियोगी परीक्षा–2016 जो 29 जनवरी, 2017 को प्रस्तावित थी अब 12 फरवरी, 2017 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

सम्पूर्ण आयोग द्वारा शीघ्रलिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2011 के पात्र/योग्य अभ्यर्थियों के नाम की अभ्यर्थना भेजने का निर्णय लिया गया।

सचिव